

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 19 अगस्त, 2002 / 28 श्रावण, 1924 (शक)

संख्या : २२७

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना अध्यक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यो सर्व श्री सुभाष चोपडा, मुकेश शर्मा, योगानन्द शास्त्री, वीर सिंह, नसीब सिंह, सुरेन्द्र कुमार, राजेश जैन, भीष्म शर्मा, एवम श्रीमति दर्शना राम कुमार को दिनांक 16/8/ 2002 के अपराहन 12.00 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत फस्ट बैरीकेड, से नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 16/8/2002 को अपराहन 12.16 बजे रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 19th August, 2002/ Shravana 28, 1924(Saka)

No. २२७

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO Police Station, Parliament Street New Delhi:

I have the honour to inform you that S/Shri Subhash Chopra, Mukesh Sharma, Yoganand Shastri, Veer Singh, Naseeb Singh, Surender Kumar, Rajesh Jain, Bheeshm Sharma and Smt Darshana Ram kumar Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Ist Barricade U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 12.00 hrs. on 16.8.2002.

They were released at 12.16 hrs. P. M on the same day i.e. 16.8.2002.

S.K.SHARMA
SECRETARY